संख्या--1551 / 15--11--08--1499(3) / 04

प्रेषकः

डी0 के0 सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक
एस0सी0ई0आर0टी0
उ0प्र0, लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग--11 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2009

विषयः-- बी0टी0सी0 चयन--2004 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक--राशै0 / 19384 / IV--चार / 2008--09, दिनांक 12.11.2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0टी0सी0--2004 के चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या--332 / 15--11--06--1499(3) / 04, दिनांक 20 मार्च, 2006 के अनुसार इस शर्त के साथ प्रारम्भ कर दी जाय कि चयनित अभ्यर्थियों में से यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत हो तो, उनके प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र दिये जाये।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।